न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–65/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम लाल मोहन चौपाल एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
08.06.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–690/भी0ओ0, दिनांक–05.05.2018 से मनीगाछी थाना कांड संख्या–58/2018 दिनांक 23.03.2018 धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में जब्त बोलेरो गाड़ी पंजीयन नं0–**BR07PB-0621** को अधिहरण करने हेतु कांड की प्राथमिकी, पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं जब्ती सूची के साथ प्राप्त हुआ, का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये गये हैं। जिस कारण वरीय पुलिस अधीक्षक जब्त वाहन को राज्यसात्/अधिहरण हेतु अनुरोध किये हैं। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण पृच्छा हेतु सूचना निर्गत किया गया। सूचना के बाद विपक्षी वाहन स्वामी दिनांक 23.05.2018 को उपस्थित होकर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9645/2018 में दिनांक 16.05.2018 को पारित आदेश की प्रति, बंध–पत्र, शपथ–पत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) नोमान अहमद, पिता–सुलतान अहमद, ग्राम–नानपुर, ग्राम–पिपरौलिया, संग्राम, झंझारपुर, जिला–मधुबनी, वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियो पंजीयन संख्या–BR07PB-4814 कीमत 9,55,000 (नौ लाख पचपन हजार) रुपये (2) साहिल कुमार सिंह, पिता–राजेश्वर सिंह, साकिन–वार्ड नं0–01 सिकरिया, थाना–मधेपुर, जिला–मधुबनी वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियो–S3 पंजीयन संख्या–BR07PB-4875 कीमत 9,51,315 (नौ लाख एकावन हजार तीन सौ पन्द्रह) रुपये मात्र, का दिया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य 7,58,472 (सात लाख अन्ठावन हजार चार सौ बहत्तर) रुपये है। दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित है। जिसे सम्यक जाँचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिभूति, बंध–पत्र, शपथ–पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9645/2018 में दिनांक 16.05.2018 को पारित आदेश के आलोक में मनीगाछी थाना कांड संख्या–58/2018 में जब्त वाहन बोलरो पंजीयन नं0–**BR07PB-0621** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। पारित आदेश वाहन विमुक्ति हेतु एवं प्राप्त बंध–पत्र की प्रति आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, मनीगाछी को भेजें। आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें। आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे। आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा 08/06/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	

D:\2018\Excise Order\Lal Mohan Chaupal 65-2018 (CWJC.doc